5/1

न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

आर. सी. ढेनवाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 49/2018

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक टोंक

बनाम

जयनारायण गुर्जर उ0 मू0 दुकानदार कंवरावास तहसील टोडारायसिंह जिला–टोंक

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी वास्ते गेहूँ के कुल 360 जूट के कट्टे कुल वजनी 178.65 क्विंटल एफ0 आई0 आर0 नम्बर 26/2017 थाना बरोनी एफ0 आई0 आर0 नम्बर 28/2017 थाना बरोनी

उपस्थिति

प्रवर्तन निरीक्षक पेरोकार सरकार
श्री सेतराम चोधरी अभिभाषक

निर्णय   दिनांक 10–6–2019

अप्रार्थी श्री राकेश जैन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि दिनांक 29–1–2017 को प्रवर्तन निरीक्षक टोंक द्वारा श्री जयनारायण गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार कंवरावास तह0 टोडारायसिंह व श्री मुकेश मीणा उचित मूल्य दुकानदार सनोदिया के विरूद्ध अनियमित्ता करने व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूँ की कालाबाजारी की शिकायत पर पुलिस थाना बरोनी में एफ0 आई0 आर0 सं0 26/2017 व 28/2017 दर्ज करवाई थी। जिसमें श्री राकेश जैन के 360 गेहूँ जूट के कट्टे जप्त किये गये हैं। उक्त गेहूँ को प्राप्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया कि उक्त एफ0आई0आर0 के अनुसंधान में अनुसंधान अधिकारी ने यह माना हैं कि उक्त गेहूँ के कट्टे प्रार्थी के पिता घनश्याम जैन द्वारा संचालित फर्म गर्ग टेडिंग कम्पनी निवाई पटेल रोट निवाई के है, जो कृषि उपज का व्यापार करने के लिए पंजीकृत फर्म है ओर गेहूँ के कय विकय का व्यापार करती है। उक्त फर्म के प्रोपराईटर घनश्याम जैन ने प्रार्थी के पक्ष में पावॅर ऑफ अटर्नी निष्पादित कर रखी है, जिसमें फर्म से सम्बन्धित सभी कार्य करने के लिए प्रार्थी राकेश जैन को अधिकृत कर रखा है। माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एंव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक ने आपने निर्णय दिनांक 27–3–2018 को आदेश जारी

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

5/2

कर उक्त गेहूँ को श्री राकेश जैन के ही माने है एंव एफ0आर0 स्वीकार की जा चुकी है इसलिए उक्त गेहूँ की अनुसंधान में अब कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उक्त गेहूँ को प्रार्थी को सुपुर्द किया जाना आवश्यक एंव न्यायसंगत है तथा उक्त दोनों डीलरों के भी लाईसेंस बहाल किये जा चुके हैं उनके स्टॉक रजिस्टर में किसी प्रकार की अनियमित्ता नहीं पाई गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के गेहूँ के 360 कट्टे जूट के प्रार्थी के सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश प्रदान करें।

राजकीय पेरोकार ने बहस के दोरान निवेदन किया कि पुलिस थाना बरोनी द्वारा दिनांक 31–7–2017 को अन्तिम रिपोर्ट (एफ0आर0) माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करदी गई। माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एंव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक ने आपने निर्णय दिनांक 27–3–2018 को आदेश जारी कर उक्त गेहूँ को श्री राकेश जैन का माना है। श्री जयनारायण गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार कंवरावास तह0 टोडारायसिंह व श्री मुकेश मीणा उचित मूल्य दुकानदार सनोदिया के स्टॉक रजिस्टर की प्रति भी न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक में पेश की है जिसमें उन्होंने उपरोक्त वर्णित क्रमशः 160 कट्टे वजन 90.20 क्विंटल एंव 180 कट्टे वजन 91.30 क्विंटल प्राप्त होने का भी इन्द्राज है। राजकीय अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि उक्त दोनों राशन डीलरों के रजिस्टर के अनुसार गेहूँ का भौतिक सत्यापन करने पर गेहूँ स्टाक के अनुसार सही पाया गया है। यदि गेहूँ के असल मालिक को सुपुर्दगी में दे दिया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकों की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय टोंक द्वारा राशन के गेहूँ की कालाबाजारी की सूचना पर पुलिस थाना बरोनी में दिनांक 2–1–2017 को एफ0आई0आर0 सं0 26/2017 व 28/2019 श्री जयनारायण गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार कंवरावास तह0 टोडारायसिंह व श्री मुकेश मीणा उचित मूल्य दुकानदार सनोदिया के विरूद्ध दर्ज करवाई गई। किन्तु बाद अनुसंधान पाया गया कि उक्त गेहूँ राशन डीलरों के न होकर श्री घनश्याम जैन के होने पर एफ0आर0 लगादी गई है प्रकरण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक में पेश होने पर उनके द्वारा भी आपने निर्णय दिनांक 27–3–2018 में उक्त गेहूँ को श्री घनश्याम जैन के पुत्र श्री राकेश जैन का माना है। उक्त दोनों उचित मुल्य दुकानदारो की शिकायत किस आधार पर की गई इस संबंध मे कोई साक्ष्य सवूत पत्रावली मे उपलब्ध नही है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जप्तशुदा 360 कट्टे गेहूँ मय जूट बारदाना अपीलार्थी श्री राकेश जैन की सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 10–6–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर0सी0ढेनवाल)
जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते